बिहार विधान परिषद् सचिवालय

विज्ञापन संख्या- 02/2025

निजी सहायक के रिक्त पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु आवश्यक सूचना

(प्रमाण-पत्रों का सत्यापन)

बिहार विधान परिषद् सचिवालय के विज्ञापन सं.- 02/2025 के अंतर्गत निजी सहायक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अंतिम परीक्षाफल में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों का सत्यापन परिषद् सचिवालय के विस्तारित भवन में दिनांक- 18.08.2026 (मंगलवार) को 11:00 बजे पूर्वा. से आयोजित किया जाएगा। सभी अभ्यर्थी निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व उक्त स्थल पर उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे तथा विज्ञापन में उल्लिखित आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं से संबंधित मूल प्रमाण-पत्रों के साथ निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत करेंगे।

1. ऑनलाइन आवेदन की डाउनलोड प्रति।
2. प्रवेश पत्र (Admit Card) की प्रति।
3. सभी सफल अभ्यर्थी अपना पहचान पत्र यथा मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड या ई-आधार (रंगीन प्रति) आदि के साथ उपस्थित होंगे।(मूल प्रति एवं एक स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति)
4. पासपोर्ट आकार का 2 रंगीन फोटो।
5. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र (मूल प्रति एवं एक स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति)
6. आवासीय प्रमाण-पत्र (मूल प्रति एवं एक स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति)
7. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र में जिस आरक्षण कोटि का दावा किया गया है, उसी आरक्षण कोटि का प्रमाण-पत्र मान्य होगा।
   - (क) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या- 2622, दिनांक- 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा राज्य एवं गैरराज्यीय प्राधिकार द्वारा अनुलग्नक अधिसूचना की अनुसूची-1 (प्रपत्र-1) में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए।
   - (ख) अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए (मूल प्रति एवं एक स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति):
     - i. जाति प्रमाण-पत्र
     - ii. स्थायी निवासी (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र
   - (ग) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए (मूल एवं स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति):
     - i. जाति प्रमाण-पत्र
     - ii. स्थायी निवासी प्रमाण-पत्र
     - iii. क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र
8. प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु उपरोक्त दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
9. जो अभ्यर्थी बिना पूर्ण सूचना एवं प्रमाण-पत्रों की जाँच में उपयुक्त नहीं होंगे अथवा वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे उन्हें अलग से समय नहीं दिया जाएगा तथा उनकी उम्मीदवारी समाप्त करने पर परिषद् सचिवालय निर्णय ले सकती है।

12/8/26

(मिथिलेश कुमार झा)

उप सचिव- सह- परीक्षा नियंत्रक

बिहार विधान परिषद्।